

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- ~~मो.सो.के.के. पांचला/श्री~~

प्रकरण सं:- 181/2018


दिनांक:- 11.6.2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1384

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~पांचला/श्री~~ व भू.अ.नि. ~~पांचला कल्ला/की~~ रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम...~~रामदेवरा~~...तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2072-75 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<del>रामदेवरा</del>	91	132 133	<del>तेजा कुज भला</del>	तेजाराम कुज भलाराम  शेष बटुवतर

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1385-87

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री...~~तेजाराम कुज भलाराम~~... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी